T.A. Misc. Case No. 10/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख के साथ
22.02/2021	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/आवेदिका 1. जोया हेम्ब्रम, पिता– डोंग हेम्ब्रम, 2. कृपा हेम्ब्रम, पिता– लुतु हेम्ब्रम, दोनों निवासी ग्राम– जगन्नाथपुर, पो०ओ०– जगन्नाथपुर, थाना– जगन्नाथपुर, जिला– पश्चिमी सिंहभूम को अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत जाति 'हो' के द्वारा खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 1716, रकवा– 10.00 (दस) डी० भूमि जो मौजा– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 712, परगाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, को क्रेता मंजु सिंकु, पिता– ललित कुमार सिंकु, ग्राम– रूगुडसाई, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत जाति 'हो' को छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम के तहत् 5,72,000.00 (पाँच लाख बहत्तर हजार) रूपये में बिक्री किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर प्रारम्भ किया गया, आवेदन के साथ क्रेता एवं विक्रेता का स्थानीय निवासी/जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर के द्वारा निर्गत है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत 'हो' जाति के सदस्य है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर का जाँच प्रतिवेदन एवं ग्रामीण मुण्डा के ब्यान में आवेदित भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। आवेदित भूमि कुरपा हो एवं काटे हो, पिता– चम्बरा हो तथा चम्बरा हो, पिता– बुधराम हो के नाम पर खतियान एवं पंजी II में दर्ज है। मुण्डा द्वारा वंशावली दाखिल किया गया, जिसमें विक्रेता का संबंध दादा–पोता का दर्शाया गया है। सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 21.02.2021 को क्रेता, विक्रेता एवं ग्रामीण मुण्डा की उपस्थिति में सुनवाई की गई है। विक्रेता तथा ग्रामीण मुण्डा का गवाही लिया गया, जिस पर विकास कुमार, ग्रामीण मुण्डा का हस्ताक्षर है। अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा द्वारा विक्री अनुमति की अनुशंसा की गई है। आम सूचना निर्गत किया गया था जिसके उपरान्त कोई भी आपति प्राप्त नहीं हुई है। विक्रेता का गवाही लिया गया, जिसमें अपने हिस्से के संयुक्त भूमि के कुल रकवा– 0.97 (सन्तानबे) डी० भूमि में से 10.00 (दस) डी० भूमि आवेदक ने मकान निर्माण एवं ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता द्वारा धारित कुल भूमि का रकवा 15.14 एकड है एवं विक्री के पश्चात् आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि भरण–पोषण हेतु शेष बच जाता है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना जगन्नाथपुर के निवासी है तथा दोनों अनुसूचित जनजाति के हैं। अतः आवेदक के आवेदन, अंचल अधिकारी, जगन्नाथपुर एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदित भूमि मौजा– जगन्नाथपुर, पो०ओ०– जगन्नाथपुर, थाना– जगन्नाथपुर, थाना संख्या– 712, खाता संख्या– 181, प्लॉट संख्या– 1716 एवं रकवा– 10.00 (दस) डी० भूमि क्रेता मंजु सिंकु, पिता– ललित कुमार सिंकु, ग्राम– रूगुडसाई, थाना– जगन्नाथपुर, राजस्व थाना– कोल्हान, जिला– पश्चिमी सिंहभूम जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत जाति 'हो' को आवेदित राशि अथवा सरकार द्वारा निर्धारित राशि जो अधिक हो पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46(1) प्रोमिजो 'ए' के अन्तर्गत विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा। अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।	

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.12.31 12:18:21 +05:30
Location: 10.93.66.35

Scanned with CamScanner